माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

निगरानी 1613-II-15 पुनरीक्षण क्र............./2015

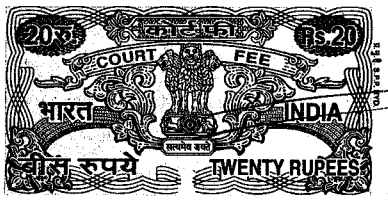

Rs. 20/-

171
3-6-15

रामसखा पटेल पिता मोतीलाल पटेल निवासी ग्राम इचौल, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म0प्र0)

— **आवेदक**

बनाम

1—नारायण चौधरी पिता ईश्वरी चौधरी
निवासी ग्राम इचौल, तहसील—उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.)
2—मध्य प्रदेश शासन ।

—**अनावेदकगण**

श्री. ब्रजभानसिंह.............एड
द्वारा आज दिनांक 03.6.15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना के द्वारा प्रकरण क्र. 48/ए—12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 17.07.14 बावत भूमि खसरा नं. 1660 स्थित मौजा इचौल, तहसील उचेहरा, जिला सतना के सीमांकन से उत्पन्न पुनरीक्षण

8-6-15

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्नांकित हैं—

1. यह कि अनावेदक व उसके पुत्रगण क्रमशः समयलाल और दयाराम ने म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर भूमि इचौल तहसील उचेहरा जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–1613/दो/15 जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामसखा/नारायण चौधरी	
21–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री बृजभान सिंह उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत व तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 48/अ/ 12/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक–17.7.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक सहित अन्य सरहदी कास्तकारो को सूचना नहीं दी गयी और प्रकरण में एक पक्षीय सीमांकन की कार्यवाही की जाकर बिधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया है, कि सीमांकन हेतु जो सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें सीमांकन की तारीख दिनांक–20.6.14 अंकित थी, किन्तु सीमांकन हेतु सूचना पत्र किस दिनांक को जारी किया गया यह अंकित नहीं था । इसके अतिरिक्त सीमांकन के संबंध में जो पंचनामा तैयार किया गया, उसमें आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है । यह भी बताया गया कि सीमांकन की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा दिनांक–23.6.14 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु प्रस्तुत आपत्ति पर बिना विचार किए ही राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन दिनांक–20.6.14 की पुष्टि अपने आदेश दिनांक–17.7.14 से कर दी गयी, इस प्रकार सीमांकन का पुष्टि आदेश अनुचित एवं अवैध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हें यहा दुहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–17.7.14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया, कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है, कि आवेदक सीमांकन हेतु आवेदित भूमि कमांक–1660 का सरहदी कास्तकार ही नहीं है, उक्त भूमि कमांक–1660 के दक्षिण में शासकीय रास्ता है, जिसके बाद रास्ता के दूसरी तरफ आपत्ति कर्ता की भूमि है, जिस पर आपत्ति कर्ता अपने पूरे रकवे पर काबिज है । यह भी अंकित किया गया है, कि	1

रामभवा/नारायण चौधरी

R.1613/II/15 सतना

सीमांकन के समय आपत्ति कर्ता के पिता मौके पर उपस्थित रहे है । इसके अतिरिक्त आदेश में राजस्व निरीक्षक द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है, कि उक्त भूमि अनावेदक को बंटन से प्राप्त होकर अहस्तांतरणीय दर्ज अभिलेख है । इसी कारण से मुख्य आपत्ति आवेदक को है ।

यह भी विचारणीय है, कि आवेदक द्वारा जो आपत्ति ग्राम की आम जनता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत की गयी है, जिसकी प्रति निगरानी मेमो के संलग्न प्रस्तुत की गयी है, इसके समर्थन में सीमांकन से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक आदि की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि आवेदक विवादित भूमि का सरहदी कास्तकार नही है । इसके अतिरिक्त वह यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है,कि उक्त सीमांकन से उसके हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है । ऐसी स्थिति में सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाता है । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि वे प्रकरण के संलग्न ग्राम वासियों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिनांक–23.06.14 में अंकित तथ्यों के संबंध में विधिवत जांच करे, एवं किसी प्रकार की अनियमिता एवं अवैधानिकता पायी जाने पर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करें । की गयी कार्यवाही से न्यायालय राजस्व मण्डल को भी तीन माह में अवगत कराया जावे । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो ।

सदस्य